भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *46
जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है
12 अग्रहायण, 1947 (शक)

एआई ऐप को दी गई निजी तस्वीरों और डेटा की सुरक्षा

***46. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एआई ऐप को दी गई लोगों की निजी तस्वीरें और डेटा कानून द्वारा संरक्षित हैं;

(ख) क्या ऐसी सुरक्षा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमों और डेटा संरक्षण बोर्ड की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक और मॉर्फ्ड इमेज का पता लगाने और उन्हें हटाने का निर्देश दिया है;

(घ) क्या सूचना दिए जाने के 36 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और विगत दो वर्षें के दौरान अनुपालन न किए जाने की स्थिति में कितनी कार्रवाई की गई है**;**

(ड.) क्या सरकार का विचार एआई द्वारा सृजित सामग्री के लिए लेबल/वॉटरमार्क अनिवार्य करने का है; और

(च) क्या इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत डीपफेक का पता लगाए जाने संबंधी कार्य कर रहे भारतीय स्टार्टअप्स अथवा अनुसंधानकर्ताओं को कोई अनुदान दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(च):** एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

एआई ऐप को दी गई निजी तस्वीरों और डेटा की सुरक्षा" के संबंध में दिनांक 03.12.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *46 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

.....

(क) से **(च):** 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किए गए डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") और डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 ("नियमावली") सभी प्रकार के डिजिटल वैयिक्तिक डेटा पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें निजी इमेज और वैयिक्तिक डेटा शामिल हैं।

इस अधिनियम में सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए नियुक्त एक चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्यों के साथ भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम के तहत एक व्यापक ढ़ांचा (फ्रेमवर्क) तैयार किया गया है जो लोगों को उनके वैयिक्तिक डेटा पर विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत उन संगठनों (डेटा फिड्यूशरी) के लिए भी बाध्यताएं तय की गई हैं जो डिजिटल वैयिक्तिक डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्य और तरीकों का निर्धारण करते हैं।

सरकार डीपफेक, मॉर्फ्ड इमेज और गलत इरादे से तैयार की जाने वाली सिंथेटिक सूचना सामग्री की समस्या से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और दूसरे पणधारकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में रहती है।

<u>माध्यस्थों को परामर्शी निदेश (एडवाइज़री)</u>

भारत सरकार ने एक मुक्त, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह डिजिटल पारिस्थितकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया माध्यस्थों को कई परामर्शी निदेश (एडवाइज़री) जारी किए हैं।

दिनांक 26.12.2023, 15.03.2024 और 21.11.2025 को जारी किए गए परामर्शी निदेश (एडवाइजरी) के ज़रिए माध्यरस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया सिद्धांत संहिता) नियमावली, 2021 (आईटी नियमावली, 2021) के तहत बताई गई उनसे अपेक्षित सावधानी (ड्यू-डिलिजेंस) और जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाया गया।

गलत इरादे वाले 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' समेत गैर-कानूनी सूचना सामग्री से निपटने के लिए माध्यरस्थों को विशेष रूप से सलाह दी गई।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) नियमावली, 2025</u>

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) नियमावली, 2025 के तहत, माध्यस्थों के लिए कोर्ट के आदेश या सरकार की तरफ से प्राधिकृत सूचना मिलने के 36 घंटों के अंदर बताई गई गैर-कानूनी सूचना सामग्री को हटाना या उसका अभिगम बंद करना अनिवार्य किया गया है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली, 2021 में संशोधनों का मसौदा</u>

भारत सरकार ने सिंथेटिक तरीके से बनाई गई जानकारी से जुड़ी सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली, 2021 में किए जाने वाले संशोधनों का मसौदा तैयार किया है और उन्हें सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ये संशोधन माध्यस्थों, विशेष रूप से सोशल मीडिया माध्यस्थों, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थों और सिंथेटिक और एआई जनित सूचना सामग्री तैयार करने अथवा उसमें कोई संशोधन/आशोधन करने वाले प्लेटफ़ॉर्मों के लिए अपेक्षित सावधानी रखने संबंधी ज़िम्मेदारियों को सुदृढ़ करते हैं।

एआई जनित छद्म तरीके से तैयार की गई सूचना सामग्री की स्पष्ट तौर पर पहचान करने और गलत जानकारी को रोकने के लिए ज़रूरी लेबलिंग, वॉटरमार्किंग और ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज़्म का प्रस्ताव किया गया है।

राज्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका

'पुलिस' और लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) के ज़रिए अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्राथमिक रूप से ज़िम्मेदार हैं।

एलईए भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई कर करती हैं।

एआई मिशन:

सरकार ने एक व्यापक, समावेशी और स्थाई एआई पारिस्थतकी तंत्र के निर्माण के लिए मार्च 2024 में राष्ट्रीय स्तर की एक पहल के रूप में इंडियाएआई मिशन को मंज़ूरी दी।

इसके विशेष स्तम्भों में से एक, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के तहत जवाबदेह एआई अपनाना सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ नवाचार का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इस स्तंभ के तहत, अनुसंधान और विकास के लिए नीचे दी गई तीन परियोजनाओं को चुना गया है:

परियोजना का शीर्षक	चयनित आवेदक
साक्ष्य: डीपफेक का पता लगाने और गवर्नेंस के लिए बहु-एजेंट, आरएजी-उन्नत फ्रेमवर्क	आईआईटी जोधपुर (सीआई) और आईआईटी मद्रास
एआई विश्लेषक: एडवर्सरियल रोबस्टनेस, एक्सप्लेनेबिलिटी और डोमेन जनरलाइज़ेशन के साथ श्रृब्य-दृश्य डीपफेक और हाथ से किए गए हस्ताक्षर की जालसाजी का पता लगाने की प्रक्रिया में सुधार	आईआईटी मंडी और फोरेंसिक सेवा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश
वास्तविक समय आधार पर डीपफेक का पता लगाने के लिए प्रणाली	आईआईटी खड़गपुर

***